

ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया के सम्बंध में भ्रामिक विवरण का खुलासा

ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया के सम्बंध में कुछ तत्वों द्वारा किए जाने वाले भ्रामक विवरण का स्पष्टीकरण ज़रूरी मालूम होता है।

श्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में ज़ेड एफ़ आई अध्यक्ष का सम्बोधन

ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया के संस्थापक अध्यक्ष डा० सैयद ज़फ़र महमूद ने 29 जून 2013 को अहमदाबाद में आयोजित “एक भारत श्रेष्ठ भारत” कार्यक्रम में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष 30



AHMEDABAD, JUNE 29, 2013

मिनट का पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन पेश किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने किया था। डा० महमूद का यह प्रेजेंटेशन तभी से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस सम्बोधन को rediff.com ने भी अपनी वेबसाइट पर जारी किया था। डा० महमूद के इस सम्बोधन के

पश्चात सभा में मौजूद लोगों ने खड़े हो कर ताली बजाते हुए उन का आह्वान किया था। स्वयं श्री मोदी जी ने पोडियम से अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि “डा० ज़फ़र महमूद ने जो बातें बताई हैं वह विचारोत्तेजक (thought provoking) हैं, यह भी एक दृष्टिकोण है उनके विचारों को सुना जाना चाहिए। उस अर्थ में मैं युवा पीढ़ी को भी जानना समझना चाहता हूँ” । डा० ज़फ़र महमूद ने अपने सम्बोधन में उठाए गए इन मुद्दों का उल्लेख बाद में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भेजे गए अपने ईमेल में भी किया था। इन में से दो सुझावों को सरकार द्वारा लागू भी किया गया जिसके लिए हम प्रधानमंत्री महोदय के अति आभारी हैं।

श्री नितिन गडकरी के समक्ष सम्बोधन

3 फरवरी 2019 को नागपुर में विदर्भ मुस्लिम इन्टेलेक्चुअल फ़ोरम द्वारा आयोजित Muslim Issues with Government कार्यक्रम में डा० ज़फ़र महमूद ने 34 मिनट का एक और पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के समक्ष भी किया था। जिसके बाद श्री गडकरी ने सभा में मौजूद लोगों



Before Sri Nitin Gadkari, Union Minister, the ZFI President, Dr Syed Zafar Mahmood made a PowerPoint presentation at Nagpur on Feb 03, 2019. The presentation titled 'Muslim issues and their solutions' is available on ZFI site since then.

से कहा था कि पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन्हें वे भारत सरकार और पार्टी तक पहुंचाएंगे।

ये दोनों प्रेजेंटेशन ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया की वेबसाइट पर मौजूद हैं।

अयोध्या मुद्दे पर मेल-मिलाप का प्रयास

अयोध्या की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को आपसी समझौते से हल करने के लिए कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता समिति को दायित्व सौंपा था। इस समिति के सदस्य कृपा मूर्ति श्री श्री रवि शंकर थे जिन के संगठन 'आर्ट ऑफ़ लिविंग' के एक अधिकारी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए डा० ज़फ़र महमूद से उनके कार्यालय में मुलाक़ात की थी। डा० ज़फ़र ने इस मुलाक़ात में कहा था कि मुसलमान सद्भावनावश अयोध्या की ज़मीन हिन्दुओं को दे दें तथा उदारता व विनिमय से प्रेरित सरकार मुस्लिम वर्ग की महत्वपूर्ण दीर्घकालिक मांगों को स्वीकृत करने के लिए विचार करे। इन बिन्दुओं पर बाद में ईमेल भी भेजा गया था।

जो मांगें उस समय सामने रखी गयी थीं उनमें से वो भी थीं जिनकी सिफ़ारिश जस्टिस सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में की थी जिस को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल से स्वीकृति दी गई थी और जिसे 30 नवम्बर 2006 को संसद के पटल पर रखा गया था। डा० ज़फ़र द्वारा दोहराई गयी इन मांगों को मीडिया में Ayodhya issue rapprochement कह कर कवर किया गया था। इनमें से कुछ मांगों की चर्चा डा० ज़फ़र महमूद अहमदाबाद और नागपुर के अपने प्रेजेंटेशनों में भी कर चुके थे।

ज़ेड एफ़ आई के बहुमुखी काम

ज़ेड एफ़ आई भारत में एक चेरिटेबुल ट्रस्ट के रूप में 2001 से रजिस्टर्ड है। इस संस्था द्वारा अनाथालय, चिकित्सा केन्द्र, (मजदूरों के बच्चों की देखभाल के लिए) डे केयर सेन्टर, लड़कियों के लिए सिलाई सिखाने की संस्थाएं आदि चलाई जाती हैं और विधवाओं की सहायता, ग़रीब लड़कियों के विवाह, भूखों



को खाना खिलाने और आपदाओं में राहत कार्य किए जाने जैसी सेवाएं दी की जाती हैं। भारत सरकार और संसद द्वारा जस्टिस सच्चर समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद 2007 में ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया ने (संविधान की धारा 15/16 के अन्तर्गत) सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए 'सर सैयद कोचिंग एण्ड गाइडेंस सेन्टर फ़ार सिविल सर्विसेज़' के नाम से एक नई यूनिट



स्थापित की। ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया अन्तर्धार्मिक व अन्तर्सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए इन्टरफ़ेथ कोअैलिशन फ़ार पीस के साथ भी मिलकर काम करता है।

क्रानूनी नियमों का पालन

ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया को सभी आवश्यक सरकारी मान्यताएं प्राप्त हैं, इसके एकाउण्ट्स और प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को रिकार्ड किया जाता है, समय पर आडिट होता है तथा सम्बंधित सरकारी विभागों में रिटर्न जमा की जाती हैं जहां इनकी नियमित रूप से जांच होती है, उन्हें सदैव सुव्यवस्थित पाया गया है।

ज़ेड एफ़ आई इण्टरनेशनल

ज़ेड एफ़ आई इण्टरनेशनल एक अलग और बहुत छोटी सी चेरिटेबुल कम्पनी है जो ब्रिटिश क्रानूनों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। इस संस्था में भारतीय मूल के दो ब्रिटिश डॉयरेक्टर हैं जो यू.के. में रहते हैं। उनमें से एक डा० जाफ़र कुरैशी जिनकी उम्र अब 75 साल है, साइक्याट्रिस्ट हैं जिनका सम्बंध हैदराबाद से है और बरमिंघम में रहते हैं। 2012 से 2016 के बीच वे व्यक्तिगत रूप से ज़ाकिर नाइक की दो कम्पनियों से जुड़े हुए थे लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भारत सरकार ने नाइक को दोशी पाया है तो उन्होंने इन कम्पनियों से इस्तीफ़ा दे दिया था। ज़ेड एफ़ आई इण्टरनेशनल के दूसरे ब्रिटिश डॉयरेक्टर भारतीय मूल के श्री शादाब अहमद हैं जिन्हें श्रीमति लक्ष्मी शर्मा की दुखद मृत्यु के बाद 2017 में शामिल किया गया था।

मदीना ट्रस्ट

मदीना ट्रस्ट एक बहुत छोटी सी डोनर चेरिटी संस्था है जो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। इसके अध्यक्ष 88 वर्षीय श्री ज़ियाउल हसन हैं जिन का सम्बंध अम्बाला से है और आज़ादी से पहले वे यू.के. शिफ़्ट हो गए थे जहां उन्होंने एकाउण्टेंट के रूप में काम किया। उनकी पत्नी का सम्बंध सहारनपुर से है। वे लोग ग़रीबों और ज़रूरत मन्दों की मदद करते हैं और उनका कहना है कि उनकी संस्था ने कभी किसी राजनीतिक

गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया और न ऐसा करने की कोई मंशा हैं। इसी नाम से वहां एक अन्य चेरिटी संस्था भी है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

व्यक्तिगत दान को व्यवस्थित रूप से जमा करना और उसका भारत में संस्थागत रूप से उपयोग

ज़ेड एफ़ आई में 90 प्रतिशत डोनेशन भारत के अन्दर से ही प्राप्त होते हैं, 10 प्रतिशत डोनेशन एफ़सीआरए से कवर हैं जो बुनियादी तौर पर प्रवासी भारतीयों के लिए सहूलत है। ज़ेड एफ़ आई की 99 प्रतिशत से अधिक वसूलयाबियां बैंकिंग चैनेल्स के माध्यम से होती हैं। ज़ेड एफ़ आई के ट्रस्टीज़ और पदाधिकारियों के नाम ज़ेड एफ़ आई की वेबसाइट पर दर्ज हैं।

इरफ़ान बैग,

सेक्रेट्री, ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया

info@zakatindia.org

01 सितम्बर 2020